

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे साम्ना उपरिपत्र होकर उपरोक्त प्रकार अगिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सामग्री लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सामग्री व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्दाज दुरस्ती पररपर सामग्री से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अगिलेख के आधार पर भी उक्त इन्दाज दुरस्ती राजस्व अगिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्दाज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्दाज					रवीकृत किया गया इन्दाज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
होमोह खंड 2	46	इसुब कुन कान	36	3-50	मोहम्मद युसुफ कुन	36	3-50
		हि.के. जोरि व्यापारी	37	3-19	कान् हि.के. जोरि व्यापारी	37	3-19
		मुलमान हा. गजेश्वर	38	2-75	मुलमान हा. गजेश्वर	38	2-75
		खातेदार			पुरा खातेदार		
		शेष बंदलूर			शेष बंदलूर		

क्रमांक :-

876

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रभारी
शिविर प्रभारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.इ.बान्ना)
मौलासर, तहसील, मौलासर
दिनांक :-

शिविर प्रभारी

(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.इ.बान्ना)

मौलासर, तहसील, मौलासर
दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

1. पटवार हल्का अरसा को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर.